Only For Official Use

Georeferenced Map of the proposed 1.70 Ha forest area for Compensatory Afforestation against forest area proposed for diversion for bridge No. 84 Gram Sabha:Sarwarpur Kesariya, Forest Range: Sitapur, Division: Social Forestry Division Sitapur District: Sitapur (U.P)

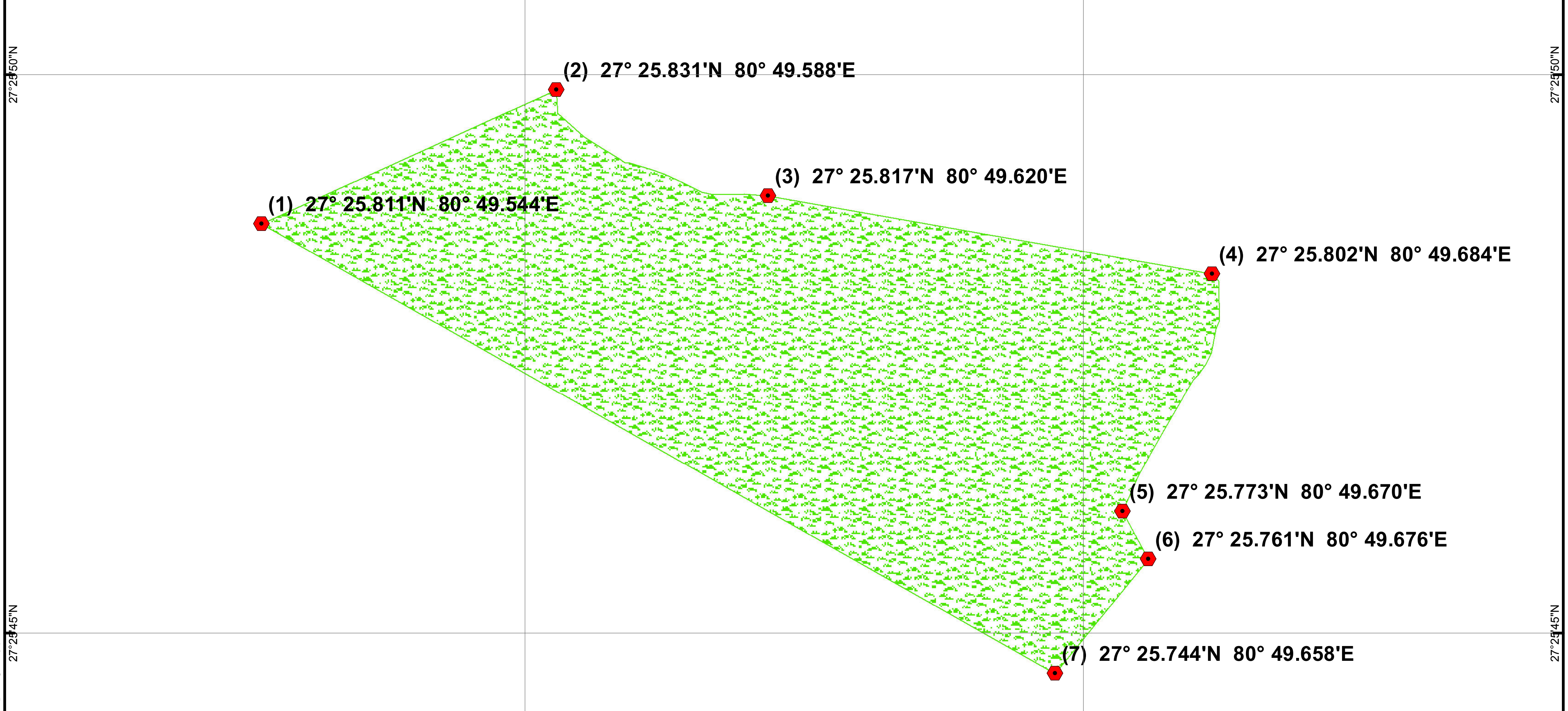

GPS Coordinates of Proposed CA Land

S.No.	Latitude	Longitude
(1)	27° 25.811'N	80° 49.544'E
(2)	27° 25.831'N	80° 49.588'E
(3)	27° 25.817'N	80° 49.620'E
(4)	27° 25.802'N	80° 49.684'E
(5)	27° 25.773'N	80° 49.670'E
(6)	27° 25.761'N	80° 49.676'E
(7)	27° 25.744'N	80° 49.658'E

Legend

GPS Coordinate Locations

Forest Land Proposed for Compensatory Afforestation(CA)

Note: Map and Mesurement prepared on the basis of GPS coordinates and site information provided by user agency

Prepared By: NRM Geomatics Pvt.Ltd.

परिशिष्ट–3

डाइवर्सन सहित पुल के निर्माण में बाधक वृक्षों का प्रजातिवार/श्रेणीवार मूल्यांकन

रेल मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत लखनऊ – पीलीभीत वाया सीतापुर तथा लखीमपुर के मध्य आमान परिवर्तन हेतु कमलापुर तथा बराई जलालपुर रेलवे स्टेशनों के बीच किमी 68/14–15 पर डाइवर्सन के साथ पुल संख्या 84 के निर्माण में बाधक वृक्षो की सूची

क्रम संख्या	प्रजाति एवं वानस्पतिक नाम	व्यास वर्ग	वृक्षों की संख्या	मूल्यांकन (रूपये)
1	Dhak (Butea Monosperma)	31 – 60 Cm	1	26.18
		61 – 90 Cm	18	1970.31
		91 – 120 Cm	10	2187.37
		121 – 150 Cm	4	2456.06
		> 150 Cm	1	1448.45
2	Chilbil (Holoptelia Integrifolia)	31 – 60 Cm	5	400.54
		61 – 90 Cm	26	7126.83
		91 – 120 Cm	5	3907.92
		121 – 150 Cm	3	6256.04
		> 150 Cm	4	21,509.56
3	Semal (Bombax Ceiba)	61 – 90 Cm	1	593.00
		91 – 120 Cm	1	993.15
		> 150 Cm	2	4230.00
4	Peepal (Ficus Religiosa)	> 150 Cm	2	13,370.27
5	Siras (Albezzia Labbeck)	61 – 90 Cm	2	891.82
		91 – 120 Cm	1	445.91
		> 150 Cm	1	6483.97
6	Sheesham (Dalburgia Sisoo)	91 – 120 Cm	1	658.61
		> 150 Cm	3	19,762.10
7	Arand (Ailanthus Excelsa)	61 – 90 Cm	1	233.00
8	Sagaun (Teak)	61 – 90 Cm	1	1887.00
9	Kuthumbar, Sohariya, Kaitha, Goolar, Kankohari and Dahigala (Miscellaneous Species)	61 – 90 Cm	7	4434.39
		91 – 120 Cm	8	1833.45
		121 – 150 Cm	5	10,354.91
		> 150 Cm	6	7064.36
		Total	119	1,20,526.00

क्षेत्रीय वन अधिकारी
सीतापुर

04.04.15
वरिष्ठ मण्डल अभियन्ता (II)
पूर्वोत्तर रेलवे
लखनऊ

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बिसौली (सीतापुर)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
सीतापुर

Form -1
(For Linear projects)
Government of Uttar Pradesh
Office of the District Magistrate, Sitapur

To Whom so ever it may concern

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (F C Division), Government of India's Letter No. 11-9/1998-FC (pt) Dated 3.8.2009 vide which the MoEF have issued certain guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the Forest land proposed for diversion for non-Forest purposes read with MoEF's Letter No 11-9/98-FC (pt) Dated 5.2.2013 vide which the MoEF have issued certain relaxations in respect of Linear projects, it is certified that 0.85 Hectare of the Forest land proposed to be diverted in favour of North Eastern Railway for construction of bridge No. 84 along with diversion in Sitapur District falls within the jurisdiction of Daudpur and Sarwarpur Kesaria villages of Sidhauli and Sitapur Tehsil respectively.

It is further certified that

(I)	the complete process for identification and settlement of rights under the FRA for diversion of the entire 0.85 Hectare of the Forest land has been carried out. A copy of record of all the consultations and meetings of the Forest Rights Committees at Gram Sabha Level, Sub-Divisional Level and the District Level are enclosed herewith.
(II)	the diversion of the Forest land for facilities managed by the Government as required under Section 3 (2) of the FRA have been completed and that both the Gram Sabhas have given their consent to it.
(III)	the proposal does not involve the recognition of rights of the Primitive Tribal Groups and Pre Agricultural Communities.

DA: As Above.

Divisional Director
Social Forestry Division
Sitapur

District Magistrate
Sitapur

C:\Users\Sanjay\Desktop\RVNL Letters\Bridge No. 84\FRA Certificates, 2006

कार्यालय जिलाधिकारी
जिला – सीतापुर

वन अधिकार अधिनियम, 2006 (Settlement of rights under the Scheduled Tribes and other traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय समिति का कार्यवृत।

आज दिनांक 11.6.2015 को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समिति की बैठक बुलायी गयी। बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा तहसील सिधौली के अन्तर्गत गॉव दाऊदपुर तथा तहसील सीतापुर के अन्तर्गत गॉव सरवरपुर केसरिया के ऊपर वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों की चर्चा की गयी। समिति सर्वसम्मति से इस निर्णय पर पहुँची कि इन गॉवों मे वन अधिकार अधिनियम, 2006 (Settlement of rights under the Scheduled Tribes and other traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई पात्र व्यक्ति नहीं है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी सीतापुर (नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,सीतापुर (नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)	जिलाधिकारी सीतापुर (नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)

सरजू प्रसाद पाल
सदस्य
जिला पंचायत सीतापुर

कौशल किशोर
सदस्य
जिला पंचायत सीतापुर

C:\Users\Sanjay\Desktop\RVNL Letters\Bridge No. 84

2

कार्यालय ग्राम पंचायत – दाउदपुर
तहसील –सिधौली, जिला – सीतापुर
अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला – सीतापुर, उत्तर प्रदेश मे रेल विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ द्वारा लखनऊ –सीतापुर के मध्य आमान परिवर्तन हेतु कमलापुर तथा बराईजलालपुर रेलवे स्टेशनों के बीच किमी 68/14–15 पर डाइवर्सन के साथ पुल संख्या – 84 के निर्माण के संबंध में आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत दाउदपुर की बैठक में रेल विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र वावत ग्राम पंचायत के सदस्यों तथा ग्राम वासियों से विस्तृत चर्चा की गयी कि वन अधिकार अधिनयम (फारेस्ट्स राइट्स एक्ट),2006 के तहत आवेदित वन भूमि पर किसी भी अनुसूचित जनजाति, आदिवासी अथवा गैर आदिवासी द्वारा कृषि कार्य, आवासीय कार्य एवं अन्य कार्य हेतु कब्जा है अथवा नहीं। उपस्थित पंचायत के सदस्यों तथा ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि पर किसी भी अनुसूचित जनजाति, आदिवासी अथवा गैर आदिवासी द्वारा कृषि कार्य, आवासीय कार्य एवं अन्य कार्य हेतु कब्जा नहीं है।

चर्चा के उपरान्त सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्राम पंचायत तथा ग्राम वासियों को उक्त वन भूमि को रेल विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ को दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम पंचायत की संस्तुति पर वन अधिकार अधिनियम (फारेस्ट्स राइट्स एक्ट), 2006 के अन्तर्गत आरक्षित वन भूमि रेल विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ द्वारा लखनऊ –सीतापुर के मध्य आमान परिवर्तन हेतु कमलापुर तथा बराईजलालपुर रेलवे स्टेशनों के बीच किमी 68/14–15 पर डाइवर्सन के साथ पुल संख्या – 84 के निर्माण हेतु प्रदान किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

दिनांक – 20.5.2015

सुशीला देवी

प्रधान
ग्राम पंचायत दाउदपुर
वि0ख0 कसमण्डा – सीतापुर

(सुशीला देवी)
प्रधान
ग्राम पंचायत – दाउदपुर
तहसील –सिधौली, जिला – सीतापुर

C:\Users\Sanjay\Desktop\RVNL Letters\Bridge No. 84

कार्यालय ग्राम पंचायत – दाउदपुर
तहसील – सिधौली, जिला – सीतापुर
प्रस्ताव की प्रतिलिपि

ग्राम पंचायत की बैठक की तिथि 20-5-2015

क्रम संख्या	सदस्यों की गणना			प्रस्ताव का कमांक एवं चर्चा का विषय			की गयी कार्यवाही का विवरण	प्रस्ताव पारित / अपारित	हस्ताक्षर
1	1	ग्राम पंचायत के कुल सदस्य गणों की संख्या	13	1	प्रस्ताव कमांक	6	उपस्थित सदस्यों एवं ग्रामवासियों के समक्ष प्रस्तावित विषय पर विस्तृत चर्चा की गयी। चर्चा के उपरान्त यह निष्कर्ष निकाला गया कि उक्त वन भूमि पर किसी भी अनुसूचित जनजाति, आदिवासी अथवा गैर आदिवासी द्वारा कृषि कार्य, आवासीय कार्य एवं अन्य कार्य हेतु कब्जा नहीं है एवं वन अधिकार अधिनयम, 2006 के अन्तर्गत आरक्षित वन भूमि रेल विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ द्वारा लखनऊ –सीतापुर के मध्य आमान परिवर्तन हेतु कमलापुर तथा बराईजलालपुर रेलवे स्टेशनों के बीच किमी 68/14–15 पर डाइवर्सन के साथ पुल	पारित	सन्तोषकुमारी सुरजादेवी प्रकाश गुड़िया देवी [illegible] उमेश [illegible] सफीक राजकुमार मुन्नीलाल सुशीला देवी प्रधान ग्राम पंचायत दाउदपुर वि0ख0 कसमण्डा–सीतापुर
	2	ग्राम पंचायत की बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या	9	2	चर्चा का विषय	जिला – सीतापुर, उत्तर प्रदेश मे रेल विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ द्वारा लखनऊ –सीतापुर के मध्य आमान परिवर्तन हेतु कमलापुर तथा बराईजलालपुर रेलवे स्टेशनों के बीच किमी 68/14–15 पर डाइवर्सन के साथ पुल संख्या – 84 के निर्माण के संबंध में आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु वन अधिकार अधिनयम, 2006 के तहत आवेदित वन भूमि पर किसी भी अनुसूचित जनजाति, आदिवासी अथवा गैर आदिवासी द्वारा कृषि कार्य, आवासीय कार्य एवं अन्य कार्य हेतु कब्जा है अथवा नहीं।			
	3	ग्राम पंचायत की बैठक में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों की संख्या	18						

C:\Users\Sanjay\Desktop\RVNL Letters\Bridge No. 84\FRA Certificates, 2006

						संख्या – 84 के निर्माण हेतु प्रदान किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रस्ताव सर्वसम्मिति से पारित हुआ।			

कार्यालय ग्राम पंचायत – दाउदपुर
तहसील – सिधौली, जिला – सीतापुर

दिनांक - 20.5.2015

क्रम संख्या	बैठक में उपस्थित ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	राम नरायन	राम नरायन
2	लाल बहादुर	लालबहादुर
3	रामनरेश यादव	रामनरेश यादव
4	मिट्ठू लाल	मिट्ठू लाल
5	श्रीकिशन	श्रीकिशन
6	जगदेव	जगदेव
7	शिवचरन लाल	शिवचरन
8	राजेन्द्र प्रसाद	राजेन्द्र प्रसाद
9	महेश कुमार	महेश कुमार
10	राज कुमार	~~बैजू राम~~ राजकुमार
11	राम सागर	~~बै~~ राम सागर
12	बैजूराम	बैजूराम
13	श्याम सागर	श्याम सागर
14	राम स्वरूप	राम स्वरूप
15	बाबू लाल	बाबूलाल
16	राम खेलावन	रामखेलावन
17	शेषपाल	शेषपाल
18	पालक राम	पालक राम

कार्यालय उप जिलाधिकारी
तहसील – सिधौली, जिला – सीतापुर

वन अधिकार अधिनियम, 2006 (Settlement of rights under the Scheduled Tribes and other traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006

आज दिनांक 10.6.2015 को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समिति की बैठक बुलायी गयी। बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा दाऊदपुर गॉव के ऊपर वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत चर्चा की गयी। समिति सर्वसम्मति से इस निर्णय पर पहुंची कि इस गॉव में वन अधिकार अधिनियम, 2006 (Settlement of rights under the Scheduled Tribes and other traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत कोई भी पात्र व्यक्ति नहीं है।

सहायक विकास अधिकारी (समाज कल्याण) (नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)	क्षेत्रीय वनाधिकारी सिधौली (नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)	उप जिलाधिकारी सिधौली (नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)
खण्ड विकास अधिकारी कसमण्डा – सीतापुर	(एन० के० सिंह) क्षेत्रीय वन अधिकारी सिधौली (सीतापुर)	

राजेश
क्षेत्र पंचायत सदस्य
ग्रा० दाउदपुर

खण्ड विकास अधिकारी
कसमण्डा–सीतापुर

रामनरायण पाण्डेय
ग्राम पंचायत अधिकारी
ग्रा० पं० दाउदपुर
वि० ख० कसमण्डा सीतापुर

C:\Users\Sanjay\Desktop\RVNL Letters\Bridge No. 84

2

कार्यालय ग्राम पंचायत – सरवरपुर केसरिया
तहसील –सीतापुर, जिला – सीतापुर
अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला – सीतापुर, उत्तर प्रदेश मे रेल विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ द्वारा लखनऊ –सीतापुर के मध्य आमान परिवर्तन हेतु कमलापुर तथा बराईजलालपुर रेलवे स्टेशनों के बीच किमी 68/14–15 पर डाइवर्सन के साथ पुल संख्या – 84 के निर्माण के संबंध में आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सरवरपुर केसरिया की बैठक में रेल विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र वावत ग्राम पंचायत के सदस्यों तथा ग्राम वासियों से विस्तृत चर्चा की गयी कि वन अधिकार अधिनयम (फारेस्ट्स राइट्स एक्ट),2006 के तहत आवेदित वन भूमि पर किसी भी अनुसूचित जनजाति, आदिवासी अथवा गैर आदिवासी द्वारा कृषि कार्य, आवासीय कार्य एवं अन्य कार्य हेतु कब्जा है अथवा नहीं। उपस्थित पंचायत के सदस्यों तथा ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि पर किसी भी अनुसूचित जनजाति, आदिवासी अथवा गैर आदिवासी द्वारा कृषि कार्य, आवासीय कार्य एवं अन्य कार्य हेतु कब्जा नहीं है।

चर्चा के उपरान्त सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्राम पंचायत तथा ग्राम वासियों को उक्त वन भूमि को रेल विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ को दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम पंचायत की संस्तुति पर वन अधिकार अधिनियम (फारेस्ट्स राइट्स एक्ट), 2006 के अन्तर्गत आरक्षित वन भूमि रेल विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ द्वारा लखनऊ –सीतापुर के मध्य आमान परिवर्तन हेतु कमलापुर तथा बराईजलालपुर रेलवे स्टेशनों के बीच किमी 68/14–15 पर डाइवर्सन के साथ पुल संख्या – 84 के निर्माण हेतु प्रदान किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

दिनांक – 12.5.2015

(किरन देवी)
प्रधान किरनदेवी
ग्राम पंचायत – सरवरपुर केसरिया
तहसील –सीतापुर, जिला – सीतापुर

C:\Users\Sanjay\Desktop\RVNL Letters\Bridge No. 84

कार्यालय ग्राम पंचायत – सरवरपुर केसरिया
तहसील – सीतापुर, जिला – सीतापुर
प्रस्ताव की प्रतिलिपि

ग्राम पंचायत की बैठक की तिथि – 12/05/15

क्रम संख्या	सदस्यों की गणना			प्रस्ताव का क्रमांक एवं चर्चा का विषय			की गयी कार्यवाही का विवरण	प्रस्ताव पारित / अपारित	हस्ताक्षर
1	1	ग्राम पंचायत के कुल सदस्यों की संख्या	10	1	प्रस्ताव क्रमांक	4	उपस्थित सदस्यों एवं ग्रामवासियों के समक्ष प्रस्तावित विषय पर विस्तृत चर्चा की गयी। चर्चा के उपरान्त यह निष्कर्ष निकाला गया कि उक्त वन भूमि पर किसी भी अनुसूचित जनजाति, आदिवासी अथवा गैर आदिवासी द्वारा कृषि कार्य, आवासीय कार्य एवं अन्य कार्य हेतु कब्जा नहीं है एवं वन अधिकार अधिनयम, 2006 के अन्तर्गत आरक्षित वन भूमि रेल विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ द्वारा लखनऊ –सीतापुर के मध्य आमान परिवर्तन हेतु कमलापुर तथा बराईजलालपुर रेलवे स्टेशनों के बीच किमी 68/14–15 पर डाइवर्सन के साथ पुल	पारित	(1) दयाराम (2) प्रकाश (3) श्रीमती [illegible] देवी (4) राजेश कुमार (5) सुरेश (6) [illegible] (7) आशा सिंह
	2	ग्राम पंचायत की बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या	7	2	चर्चा का विषय	जिला – सीतापुर, उत्तर प्रदेश मे रेल विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ द्वारा लखनऊ –सीतापुर के मध्य आमान परिवर्तन हेतु कमलापुर तथा बराईजलालपुर रेलवे स्टेशनों के बीच किमी 68/14–15 पर डाइवर्सन के साथ पुल संख्या – 84 के निर्माण के संबंध में आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु वन अधिकार अधिनयम, 2006 के तहत आवेदित वन भूमि पर किसी भी अनुसूचित जनजाति, आदिवासी अथवा गैर आदिवासी द्वारा कृषि कार्य, आवासीय कार्य एवं अन्य कार्य हेतु कब्जा है अथवा नहीं।			
	3	ग्राम पंचायत की बैठक में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों की संख्या	15						

C:\Users\Sanjay\Desktop\RVNL Letters\Bridge No. 84\FRA Certificates, 2006

							संख्या – 84 के निर्माण हेतु प्रदान किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रस्ताव सर्वसम्मिति से पारित हुआ।			

किरनदेवी
प्रधान
ग्राम पंचायत सरवरपुर [illegible]
वि.ख. खैराबाद-सीतापुर

सत्यदेव त्रिवेदी
ग्राम पंचायत अधिकारी
वि0ख0 खैराबाद-सीतापुर

C:\Users\Sanjay\Desktop\RVNL Letters\Bridge No. 84\FRA Certificates, 2006

कार्यालय ग्राम पंचायत – सरवरपुर केसरिया
तहसील – सीतापुर, जिला – सीतापुर

दिनांक · 12.5.2015

क्रम संख्या	बैठक में उपस्थित ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री हरिवंश	हरिवंश
2	श्री रजनेश कुमार	रजनेश कुमार
3	श्री राकेश कुमार	राकेश
4.	श्री बृजपाल	बृजपाल
5	श्री करुणा शंकर	करुणाशंकर
6	श्री कमलेश कुमार मिश्र	कमलेश कुमार मिश्र
7	श्री राकेश कुमार	राकेश कुमार
8	श्री अभिषेक शुक्ला	Abhishek Shukla
9	श्री रामऔतार	रामऔतार
10	श्री विशुन कुमार	विशुन कुमार
11.	श्री पंकज	पंकज
12	संजय कुमार	संजय कुमार
13	श्री सुखीराम	सुखीराम
14.	श्री सुशील कुमार	सुशील कुमार
15	श्री मनोज कुमार	मनोज कुमार

C:\Users\Sanjay\Desktop\RVNL Letters\Bridge No. 84

कार्यालय उप जिलाधिकारी
तहसील – सीतापुर, जिला – सीतापुर

वन अधिकार अधिनियम, 2006 (Settlement of rights under the Scheduled Tribes and other traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006

आज दिनांक 5.6.2015 को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समिति की बैठक बुलायी गयी। बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा सरवरपुर केसरिया गॉव के ऊपर वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत चर्चा की गयी। समिति सर्वसम्मति से इस निर्णय पर पहुँची कि इस गॉव मे वन अधिकार अधिनियम, 2006 (Settlement of rights under the Scheduled Tribes and other traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई पात्र व्यक्ति नहीं है।

सहायक विकास अधिकारी (समाज कल्याण) (नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)	क्षेत्रीय वनाधिकारी सीतापुर (नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)	उप जिलाधिकारी सीतापुर (नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)

ग्रामनी
BDe
सरवरपुर केसरिया

खण्ड विकास अधिकारी
बेहटा-सीतापुर

सहायक विकास अधिकारी,(स० क०)
वि० खं० बेहटा-सीतापुर

C:\Users\Sanjay\Desktop\RVNL Letters\Bridge No. 84

परिशिष्ट–10

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल की उपलब्धता एवं उपयुक्तता का प्रमाण पत्र

रेल मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत लखनऊ – पीलीभीत वाया सीतापुर तथा लखीमपुर के मध्य आमान परिवर्तन हेतु कमलापुर तथा बराई जलालपुर रेलवे स्टेशनों के बीच किमी 68/14–15 पर डाइवर्सन के साथ पुल संख्या 84 का आरक्षित वन भूमि पर प्रस्तावित निर्माण

प्रमाणित किया जाता है कि सामाजिक वानिकी वन प्रभाग सीतापुर के अन्तर्गत उक्त निर्माण कार्य हेतु सरवरपुर केसरिया गॉव में चयनित स्थल क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध एवं उपयुक्त है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
सीतापुर

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
सीतापुर

C:\Users\Sanjay\Desktop\RVNL Letters\Bridge No. 84

परिशिष्ट– 14

मलवा उत्सर्जन सम्बन्धित प्रमाण पत्र

रेल मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत लखनऊ – पीलीभीत वाया सीतापुर तथा लखीमपुर के मध्य आमान परिवर्तन हेतु कमलापुर एवं बराई जलालपुर रेलवे स्टेशनों के बीच किमी 68/14–15 पर डाइवर्सन के साथ पुल संख्या 84 का आरक्षित वन भूमि पर प्रस्तावित निर्माण

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित निर्माण कार्य से किसी प्रकार के मलवे का उत्पादन/उत्सर्जन नही होगा। अतः इस मलवे के विवरण, निस्तारण तथा रीक्लेमेशन प्लान का प्रश्न ही नही उठता हैं।

05.06.2015

वरिष्ठ मण्डल अभियन्ता (II)
पूर्वोत्तर रेलवे
लखनऊ

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
सीतापुर

निर्यात के लिए नहीं NOT FOR EXPORT

OPEN SERIES MAP

No. G44C15

Scale 1:50,000

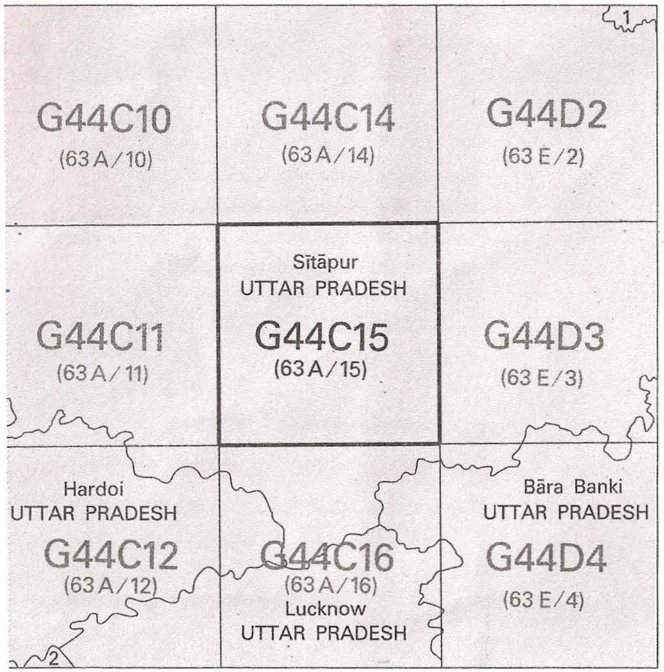

Kheri, UTTAR PRADESH.
Unnāo, UTTAR PRADESH.

भारतीय सर्वेक्षण विभाग SURVEY OF INDIA

Edition 2009. Price : Rs. 50 / –

कार्यालय नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पत्रांक-- 2060 /11सी--क्षतिपूरक वनीकरण, दिनांकः लखनऊः अप्रैल 02 , 2014

सेवा में,

1--समस्त क्षेत्रीय वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
2--समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, उत्तर प्रदेश।

विषय - वर्ष--2014--15 के लिए क्षतिपूरक वनीकरण की दरों का निर्धारण।

सन्दर्भ--उ0प्र0शासन का शासनादेश संख्या--642/14--3--627/88, वन अनुभाग--3, दिनांक 30.11.1989 व इस कार्यालय का पत्रांक--1644/11सी--क्षतिपूरक वनीकरण, दिनांक 01.04.13

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें । उत्तर प्रदेश शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र में दिये गये प्राविधान को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2014--15 के लिए विभिन्न प्रकार की भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण की दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :--

कमॉक	भूमि का प्रकार	वर्ष--2014--15 के लिए दरें (रू0 प्रति हे0)
1.	पट्टी रोपण (सामान्य भूमि--रेलवे,कैनाल,सड़क आदि), अवनत भूमि तथा खण्डरोपण	98,410
2.	ऊसर भूमि रोपण	1,96,820
3.	पर्वतीय क्षेत्रों में छोड़ी हुई खदानों में रोपण	2,35,795

जहाँ वृक्षारोपण क्षेत्रफल के स्थान पर, वृक्षों की संख्या से नियन्त्रित होता हो, वहॉ पर भूमि के प्रकार के अनुरूप वृक्ष रोपण दर की गणना आवश्यक है । यह गणना करते समय 2000 पौध प्रति हे0 माना जायेगा । इस प्रकार पटरी रोपण आदि के लिए वर्ष--2014--15 हेतु रू0 49.00, ऊसर रोपण के लिए रू0 98.00, पर्वतीय क्षेत्रों में छोड़ी गई खदानों के रोपण के लिए रू0 118.00 प्रति पौध की दर से धनराशि देय होगी। उपरोक्त दरें दिनांक 01--04--2014 से लागू मानी जायेगी।

भारत सरकार का पत्र दि0 22.01.13 जो इस कार्यालय के पत्रांक--1190/11सी--सामान्य, दि0 28.01.13 द्वारा आपके कार्यालय को पृष्ठांकित किया गया है, द्वारा 7--10 वर्षो तक के रखरखाव के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे, जिसका पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

समस्त क्षेत्रीय वन संरक्षक एवं समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक क्षतिपूरक वनीकरण योजना बनाते समय इन दरों का ध्यान रखें। यह उल्लेखनीय है कि यह दरें उच्चतम है, इनसे कम दरों पर कार्य सम्पन्न कराया जाना निषेध नही है, परन्तु वृक्षारोपण उच्चकोटि के होने चाहिए।

भवदीय,

(ए0के0द्विवेदी)
नोडल अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक,
उ0प्र0, लखनऊ

पत्र संख्या-- 2060 / तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

1-- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वन अनुभाग--2, लखनऊ ।
2-- समस्त क्षेत्रीय/मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश ।

(ए0के0द्विवेदी)
नोडल अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक,
उ0प्र0, लखनऊ।

प्रतिलिपि - समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, लखनऊ मण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक
लखनऊ मण्डल, उ0प्र0 लखनऊ